अपील पंजियन संख्या 7/2016 अनवानी ज्योति प्रकाश गोयल पुत्र श्री मदन लाल गोयल जाति अग्रवाल निवासी 18 ई ब्लाक श्रीगंगानगर हाल निवासी 1 डी जवाहरनगर, श्रीगंगानगर बनाम 1–राज0 सरकार 2–उपपंजियक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.09.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री रामप्रकाश गुप्ता उपस्थित है। रेस्पो0 उपपंजियक श्रीगंगानगर उपस्थित नही है। अपीलार्थी के अभिभाषक की आज पुनः बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री रामप्रकाश गुप्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पिता मदनलाल ने अपनी चल व अचल सम्पति के संबंध में एक वसीयत दिनांक 30.11.2008 को अपीलार्थी व अपीलार्थी के भाईयों आदि के हक में गवाहान श्री मोहनलाल काण्डा एवं श्री विजय गोयल के समक्ष की थी जिस पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर है और उक्त वसीयत दिनांक 30.11.2008 नोटेरी पब्लिक श्रीगंगानगर से तस्दीक शुदा है। उनका आगे कथन है कि उक्त वसीयत पूर्व में जिला पंजियक श्रीगंगानगर को पेश की थी जो उनके द्वारा उपपंजियक श्रीगंगानगर को भेज दी गई थी और उपपंजीयक श्रीगंगानगर द्वारा उक्त वसीयत को संदेहास्पद मानते हुए दिनांक 13.06.2016 को अवैद्य रूप से खारिज कर दी। जबकि उक्त वसीयत के समर्थन में गवाहान व वारिसान के शपथपत्र भी पेश किये गये थे। उनका आगे यह भी कथन है कि चूंकि वसीयतकर्ता की दिनांक 13.12.2008 को मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के बाद जिसके पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है उसके द्वारा पेश करनु पर उस वसीयत को पंजिबद्ध करने का रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 40(1) में प्रावधान है जिसके तहत ही पंजीयन के लिए कार्यवाही करनी चाहिए थी। उनके द्वारा एआईआर 2016 कलकता 98 का उद्धरण पेश करते हुए कथन किया कि उपपंजीयक को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेज की वैद्यता जांच करने की अधिकारिता नही है। इसलिए उक्त आदेश दिनांक 13.06.2016 निरस्त किया जाकर वसीयत दिनांक 30.11.16 को पंजिबद्ध करने का आदेश दिया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उपपंजीयक श्रीगंगानगर ने अपने जबाब दिनांक 25.07.16 में उक्त वसीयत को संदेहास्पद बताते हुए पंजीयन से ईन्कार करना अंकित किया है। उपपंजीयक श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 13.06.16 का भी अवलोकन किया तो पाया कि मृत्तक मदनलाल गोयल पुत्र मंगतराय गोयल द्वारा अपीलार्थी व उसके भाईयो आदि के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 30.11.2008 को पंजीयन के लिए प्रस्तुत करने पर उपपंजीयक द्वारा आदेश दिनांक 13.06.16 निम्न प्रकार से पारित किया गया है:–

> **भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 40 व 41 के अन्तर्गत मृत्यु उपरान्त खुली वसीयत वास्ते पंजियन जिला पंजियक कार्यालय से प्राप्त हुई। वसीयत Dully Attested प्रतीत नही होती है, क्योंकि नोटेरी रजिस्टर्ड के कमांक अंकित नही है। प्रथम दृष्टया वसीयत सन्देहास्पद प्रतीत होती है। अतः पंजीयन से ईन्कार किया जाता है। प्रस्तुतकर्ता 30 दिवस के अन्दर जिला पंजियक के यहां अपील कर सकता है। मूल दस्तावेज वापिस लौटाये जावे।**
>
> **ह0 13.6.16 उप पंजीयक श्रीगंगानगर**

जिला पंजीयक
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 2016 कलकता 98 अनवानी प्रशांत चौधरी बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल का मैनें ससम्मान अवलोकन किया जिसके अनुसार उपपंजियक को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये गये किसी भी दस्तावेज की वैद्यता की जांच करने की अधिकारिता नही है। राजस्थान रजिस्ट्रेशन 1955 के नियम 39 के तहत भी उपपंजीयक को किसी भी दस्तावेज की वैद्यता की जांच करने की अधिकारिता नही है केवल इस नियम में अंकित प्रावधानो के अन्तर्गत ही उसे कार्यवाही करनी चाहिए।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर उपपंजीयक श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 13.06.2016 निरस्त किया जाता है और मामला उपपंजीयक श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनकर पंजीयन अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत ही मूल वसीयत के पंजीयन के संबंध में पुनः निर्णय किया जावे। मूल वसीयत दिनांक 30.11.2008 एवं इसके साथ प्रस्तुत शपथ पत्र ज्योति प्रकाश गोयल, मोहनलाल काण्डा, विजयकुमार गोयल की प्रमाणित प्रतिया ली जाकर पत्रावली में रखी जावे और मूल वापिस लौटाये जावे। आदेश की प्रति उपपंजीयक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला पंजीयक
श्रीगंगानगर